न्यायालय श्रीमान् सहायक कलक्टर (मु0) महोदय, अजमेर

राजस्व वाद संख्या 53/2021 जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी का नामः– श्रीमती मोनिका जाखड

1. मु. जमीरा बेवा मौहम्मद
2. निजाम पुत्र मौहम्मद (मृतक) जरिये वारिसानः–
   2/1 साजिद पुत्र निजाम
   2/2 शाहिद पुत्र निजाम
   2/3 मुबारक पुत्र निजाम
   2/4 फिरोज पुत्र निजाम
   2/5 शहनाज पुत्री निजाम
   2/6 सितारा पत्नि निजाम
   समस्त जाति चीता निवासी हटूण्डी तहसील व जिला अजमेर।

—— वादीगण

बनाम

1. करीमा पुत्र लाखा
2. जलदार पुत्र लाखा
3. बन्ना पुत्र लाखा
4. सजरूद्दीन पुत्र सोकिन
5. जस्सूद्दीन पुत्र सोकिन
6. जमीला पुत्री सोकिन
   समस्त जाति चीता, निवासी हटुण्डी तहसील व जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिए विद्वान तहसीलदार महोदय, अजमेर।
8. उप पंजीयक महोदय द्वितीय, अजमेर।

—— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री मदनपुरी गोस्वामी — अभिभाषक वादीगण

निर्णय

दिनांकः–

06/08/2024

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पति/दादा मोहम्मद वल्द जफरू की तन्हा खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है जो ग्राम हटुण्डी पटवार हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तबीजी तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है। जिसके साबिक चौसाला खसरा नंबर 54 रकबा 2–3–0 बीघा व खसरा नंबर 61 रकबा 2–14–0 बीघा कि जिसके वर्किंग खसरा नंबर 91 रकबा 2–3–0 बीघा, खसरा नंबर 98 रकबा 2–14–0 बीघा कि जिसके हाल खसरा नंबर 51 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 58 रकबा 0.25 है., खसरा नंबर 70 रकबा 0.28 है. एवं खसरा नंबर 77 रकबा 0.16 हैक्टेयर है जिस पर पूर्व में वादिया संख्या 1 के पति एवं वादीगण 2/1 लगायत 2/6 के पिता निजाम पुत्र मोहम्मद जिनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण का शांतिपूर्ण रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। चौसाला खसरा नंबर 54 रकबा 2–3–0 बीघा एवं खसरा नंबर 61 रकबा 2–14–0 बीघा भूमि वादीगण के पूर्वज की तन्हा खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी जो चौसाला जमाबंदी संवत 2015 से 2018 में दर्ज इन्द्राज से स्वयं सिद्ध है लेकिन साबिक चौसाला खसरा नंबर 54 एवं 61 कि जिस पर पूर्व में वादीगण के पूर्वज तथा वर्तमान में वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है, को वर्किंग जमाबंदी मुर्तिब करते समय प्रतिवादीगण के पूर्वज लाखा व सोकिन पुत्रान जफरू का नाम वादीगण के पूर्वज मोहम्मद पुत्र जफरू के साथ खातेदारी में दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त आराजी खसरा नंबर पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय मुर्तिब चौसाला जमाबंदी संवत 2015 से 2018 से वादग्रस्त आराजीयात तन्हा रूप से मोहम्मद पुत्र जफरू जो कि वादीगण के पति एवं दादा है ही काबिज काश्त चले आ रहे थे तथा उनकी ही तन्हा खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी तथा वर्तमान में भी वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का ही निर्विवाद कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादीगण ही वादग्रस्त आराजीयात के तन्हा खातेदार है। जिसमें वादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर तन्हा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। जिससे उक्त वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है।

Scanned with OKEN Scanner

साबिक चौसाला खसरा नंबर 54 एवं 61 जो कि वादीगण के पूर्वज की तन्हा खातेदारी में दर्ज चले आ रहे थे तथा वर्तमान में वादीगण कदीम से काबिज काश्त चले आ रहे है जो दौराने भू–संशोधन वर्किंग जमाबंदी मुर्तिब करते समय अविधिक रूप से वर्किंग खसरा नंबर 91 एवं 98 बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिकी के उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पति/दादा मोहम्मद वल्द जफरू के साथ प्रतिवादीगण के पूर्वज लाखा व सोकिन पुत्रगण जफरू के साथ दर्ज कर दिया गया बल्कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पति/दादा मोहम्मद वल्द जफरू की तन्हा खातेदारी की भूमि थी, इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा चौसाला जमाबंदी संवत 2015 से 2018 की पुनावृति नहं कर अविधिक रूप से वादग्रस्त आराजीयात को प्रतिवादीगण के पूर्वजों के साथ सह खातेदारी में दर्ज कर दी गयी जिसकी इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर हाल खसरा नंबर 51 रकबा 0.10 खसरा नंबर 58 रकबा 0.25 है., खसरा नंबर 70 रकबा 0.28 है. एवं खसरा नंबर 77 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि का वादीगण को बहैसियत खातेदार उद्घोषित किया जाना वांछित है जिस हेतु उक्त वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी/दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सेवा में प्रस्तुत है। वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से आज दिनांक तक काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन दौराने भू–संशोधन की कार्यवाही के साबिक चौसाला खसरा नंबर 54 व 61 के वर्किंग खसरा नंबरान प्रतिवादीगण के पूर्वजों के साथ संयुक्त खातेदारी में दर्ज कर देने तथा इसी अनुसार वर्तमान में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के साथ सह खातेदारी में दर्ज होने से प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने तथा बेदखल करने का नाजायज प्रयास करने, रहन, बेचान मुतंकिल करने, सम्परिवर्तन करवाने, शक्ल परिवर्तन करने पर सख्त आमादा है जिसमें यदि वे सफल हो गयी तो वादीगण अपनी पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की भूमि से महरूम हो जायेगें, जिससे वादीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जाना न्यायोचित है जिस हेतु उक्त वाद वास्ते जारी फरमाने स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सेवा में प्रस्तुत है। सर्वप्रथम वाद कारण भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने बन्दोबस्त वादीगण की खातेदारी की भूमि प्रतिवादीगण के नाम सह खातेदारी दर्ज कर देने तत्पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा एक अन्य राजस्व वाद संख्या 24/2020 अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में वर्णित आराजी साबिक चौसाला खसरा नंबर 38 व 51 बाबत प्रतिवादीगण को पक्षकार मुर्तिब करते हुए वाद प्रस्तुत किया जिसा जवाब प्रस्तुत करने हेतु वादीगण ने अपनी समस्त खातेदारी भूमियों की जमाबंदी निकलवाई जिससे वादीगण को जानकारी हुई कि उक्त वाद में वर्णित आराजीयात वादीगण की तन्हा खातेदारी की भूमि थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के साथ सह काश्तकारी में दर्ज चली आ रही है जिसका इन्द्राज दुरूस्ती करवाने हेतु प्रतिवादीगण कई बार निवेदन करने तथा दिनांक 4.08.2021 को प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने से स्पष्ट इन्कार करने तथा वर्तमान में उनके नाम दर्ज वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र बेचान करने की धमकी देने से उत्पन्न होकर आज दिनांक लगातार जारी है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात के हाल खसरा नंबर 51 रकबा 0.10 खसरा नंबर 58 रकबा 0.25 है., खसरा नंबर 70 रकबा 0.28 है. एवं खसरा नंबर 77 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित कर अधिकार अभिलेख में वादीगण के नाम बहेसियत खातेदार दर्ज किया जावे एवं इस अमर की उद्घोषणात्मक एवं दुरूस्ती इन्द्राज की आज्ञप्ति बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 02.08.2022 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 11.06.2024 को प्रतिवादी संख्या 8 अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा वादीगण अभिभाषक ने निवेदन किया कि सरकार फॉर्मल पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नही है, निवेदन स्वीकार किया जाकर सरकार जवाब बंद किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। दिनांक 04.07.2024 को वादीगण अभिभाषक ने निवेदन किया कि वाद पत्र को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाए जिसे स्वीकार किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 10.07.2024 को नियत की गई। दिनांक 10.07.2024 को वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी गई।

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन तथा मनन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे की वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी जो वाद पत्र में वर्णित की गई है। वह चौसाला जमाबंदी संवत 2015–18 में वादीगण के पिता/पति मोहम्मद वल्द जफरी की खातेदारी में दर्ज रही है। जो बिना किसी न्यायालय के आदेश के दौराने बंदोबस्त में वर्किंग जमाबंदी में वादीगण के पिता/पति के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता लाखा व शौकीन के साथ सहखातेदारी में दर्ज कर दी गई जबकि बंदोबस्त विभाग को पूर्व प्रविष्टियों को प्रवर्तित करने का विधिक क्षेत्राधिकार नहीं होने से वर्किंग जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण है। प्रतिवादीगण की ओर से भी उक्त वाद पत्र में बावजूद सूचना के उपस्थित होकर खंडन नहीं किया जिससे स्पष्ट है कि वर्किंग जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज त्रुटिपूर्ण है जिसकी दुरस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है जिससे वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नंबर 51 रकबा 0.10 है. खसरा 58 रकबा 0.25 है., खसरा नंबर 70 रकबा 0.28 है. एवं खसरा नंबर 77 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। डिक्री इस कदर जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोनिका जाखड)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज0 का0 अधि01955 सपठित

मुकदमा नम्बरः– 53/2021

1. मु. जमीरा बेवा मौहम्मद
2. निजाम पुत्र मौहम्मद (मृतक) जरिये वारिसानः–
   2/1 साजिद पुत्र निजाम
   2/2 शाहिद पुत्र निजाम
   2/3 मुबारक पुत्र निजाम
   2/4 फिरोज पुत्र निजाम
   2/5 शहनाज पुत्री निजाम
   2/6 सितारा पत्नि निजाम
   समस्त जाति चीता निवासी हटूण्डी तहसील व जिला अजमेर।

—— वादीगण

बनाम

1. करीमा पुत्र लाखा
2. जलदार पुत्र लाखा
3. बन्ना पुत्र लाखा
4. सजरूद्दीन पुत्र सोकिन
5. जस्सूद्दीन पुत्र सोकिन
6. जमीला पुत्री सोकिन
   समस्त जाति चीता, निवासी हटुण्डी तहसील व जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिए विद्वान तहसीलदार महोदय, अजमेर।
8. उप पंजीयक महोदय द्वितीय, अजमेर।

—— प्रतिवादीगण

दिनांकः– 06.08.2024

वादीगण अभिभाषक श्री मदनपुरी गोस्वामी असालतन स्वंय उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 06.08.2024 को पीठासीन अधिकारी श्रीमती मोनिका जाखड आर0ए0एस0 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः– वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार कर अंतिम डिक्री इस कदर जारी की जाती है कि ग्राम हटुण्डी पटवार हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तबीजी तहसील व जिला अजमेर के हाल खसरा नंबर 51 रकबा 0.10 है. खसरा 58 रकबा 0.25 है., खसरा नंबर 70 रकबा 0.28 है. एवं खसरा नंबर 77 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।

(मोनिका जाखड)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1–वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2–शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3–प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4–.....रूपये पर प्लीडर की फीस 5–साक्षियों के लिए निर्वाह– व्यय 6–कमिश्नर की फीस 7–आदेशिका की तामिल		शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह– व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

(मोनिका जाखड)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

Scanned with OKEN Scanner